TRN2223A6031

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
(राज्यस्तरीय सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांकः प. 10(14)/परि/स.सु./चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/2023 जयपुर, दिनांकः

निविदा सूचना संख्या –02/2023 UBN TRN2223SSOB00031

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग (मुख्यालय) राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रकोष्ठ हेतु तथा ह.च. मा. राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में स्थापित रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट हेतु जॉब बेसिस पर संवेदक के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवाएं दिनांक 29.02.2024 तक की अवधि के लिए उपलब्ध करवाने हेतु खुली प्रतियोगी बोली से निम्नानुसार निविदायें आमंत्रित की जाती है :–

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित लागत (रू.)	बोली प्रतिभूति राशि (रू.)	बोली प्रपत्र शुल्क	निविदा जारी करने की दिनांक व समय	निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा (तकनीकी) बिड खोलने की दिनांक व समय
1.	जॉब बेसिस पर संवेदक के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–7 (अकुशल श्रमिक) प्रकोष्ठ हेतु–6, रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट हेतु–1	8.40 लाख	16800	200.00	16.02.2023	23.02.2023 2.00 PM	23.02.2023 4.00 PM

निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्ते विभाग की वेबसाइट www.transport.rajasthan.gov.in एवं http:/sppp.raj.nic.in पर देखी एवं डाउनलोड़ की जा सकती है। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र का शुल्क निविदा के साथ नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट (आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के नाम से देय) के माध्यम से जमा कराना होगा।

निविदा शुल्क एवं निविदा प्रतिभूति राशि के अभाव में किसी भी निविदा को स्वीकार नही किया जाएगा।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (स.सु.)

क्रमांकः प. 10(14)/परि/स.सु./चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/2023 जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, DIPR को एक क्षेत्रीय समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान पर प्रकाशनार्थ।
3. वित्तीय सलाहकार, परिवहनएवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप परिवहन आयुक्त (प्रशा0), परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. सूचना सहायक को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड।

Signature valid

Digitally signed by Nidhi Singh
Designation: Joint Transport Commissioner
Date: 2023.02.15 10:17:33 IST
Reason: Approved

संयुक्त परिवहन आयुक्त (स.सु.)

RajKaj Ref No. : 3167434

आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. निविदा संख्या– 02/2023
2. निविदा शुल्क राशि रू 200/– जी.ए.55 रसीद/डी.डी. संख्या..............दिनांक................बैंक का नाम .... (रसीद /डी.डी. संलग्न करें)
3. निविदा प्रतिभूति (अमानत) राशि रू 16800/– डी.डी. संख्या..............दिनांक................बैंक का नाम .... (रसीद /डी.डी. संलग्न करें)
4. बोलीदाता/संवेदक का नाम: ....
5. डाक का पता ....
6. फोन/मोबाईल नं. : ....
7. ई–मेल : ....
8. बैंक खाते का विवरण : ....

A/C Holder Name	
A/C Number	
Bank & Branch	
IFSC Code	

9. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रतिलिपी संलग्न किये गये है :– (बोलीदाता द्वारा आवश्यक पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत किया जायेगा तथा निम्न पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्व–हस्ताक्षरित प्रति, बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी।)

क्र.सं,	वांछित विवरण/पंजीकरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इंडियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7	अन्य				

10. बोलीदाता/संवेदक को गत तीन वित्तीय वर्षो (2019–20, 2020–21 व 2021–22) में केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/ स्वायत्त शासी संस्थाएं/परियोजनाएं/बोर्ड/समिति/ आयोग/शिक्षण संस्था/बैंकों में 4 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की सेवाएं इसी समयावधि में कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है जिसका निम्न विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी :–

क्र. सं.	विभाग/संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध करवाये गये चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की समयावधि
1.			
2.			
3.			
4.			

11. बोली/निविदा प्रतिभूति राशि रू. 16800/– का डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक, आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर के नाम जो जयपुर ब्रांच पर देय हो निविदा प्रपत्र के साथ जमा कराना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र शुल्क/फीस रू. 200/– का जी.ए 55 रसीद/डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भी निविदा पत्र के साथ जमा कराना होगा। निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति राशि जमा के अभाव में निविदा/बोली मान्य नही होगीं तथा उसे तकनीकी/वित्तीय बिड में शामिल नही किया जाएगा।
12. संवेदक/बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली/प्राइस बिड को छोड़कर शेष बोली दस्तावेजों को बोलीदाता के संबंधित प्रमाण पत्र एवं प्रपत्रों के साथ तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली/प्राइस बिड प्रपत्र अलग–अलग लिफाफे में बन्द कर दोनो लिफाफों पर नामांकन (तकनीकी बोली प्रपत्र तथा वित्तीय बोली प्रपत्र) कर एक बड़े लिफाफे में बन्द करके प्रस्तुत की जाएगी।
13. तकनीकी बोली में क्वालीफाइड/सफल बोलीदाता/संवेदक की ही वित्तीय बोली/प्राइस बिड खोली जाएगी।

घोषणाः– परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जारी की गई उक्त निविदा सूचना के क्रम में प्रकाशित की गई शर्ते जो निविदा के साथ संलग्न है, उनसे हम पूर्णतया सहमत है। (हमारी स्वीकृति बतौर हमने सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है)।

निविदादाता के हस्ताक्षर (मय सील)
नाम एवं पूरा पता

आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार

बोली / निविदा की मुख्य शर्ते

Important Instruction :- The law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012" [hereinfafter called the Act] and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013" [hereinfaftr called the Rules] under the said Act have come into force which are available on website of State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगें।
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक / बोलीदाता का होगा।
3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक / बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि सम्पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
4. बोलीदाता (Bidder) के द्वारा निविदा प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्थान अनुबंधित श्रमिक अधिनियम एवं श्रमिक अनुबंध नियम 1970 / संशोधन अधिनियम 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अद्यतन प्रावधानो के अर्न्तगत पंजीकरण करवाना आवश्यक है, तो बोलीदाता द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जायेगा। यदि नियमों के अर्न्तगत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नही है तो वह तदानुसार वचन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करते हुये बोली में भाग ले सकता है।
5. संवेदक / बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक / बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
6. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी भुगतान करनें का दायित्व सम्बंधित संवेदक / बोलीदाता का होगा।
7. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक / बोलीदाता को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
8. संवेदक / बोलीदाता को राज्य / केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ., ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिक की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक / बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक / बोलीदाता द्वारा अपनें आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि

नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

9. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपनें समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. की राशि जमा करानें का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

10. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवानें की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा करायें गयें वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उम्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

11. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करनें का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं,दिशा–निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए सवेंदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

12. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिए आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

13. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम,1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

14. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिए इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

15. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को DEBAR कराने की कार्यवाही की जायेगी।

16. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या एवं उसकी समयावधि में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नही दी जाएगी। इस सम्बन्ध में बोलीदाता के किसी भी दावे या प्रतिकार का आधार नही होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या या उनकी समयावधि में कमी/वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर पर आदेशित समय एवं स्थान पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उपलब्ध करवाना होगा।

17. तकनीकी बोली में सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।

18. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के प्रभावी रहने के दौरान, किसी भी समय, राज्य में किसी को दर संविदा से कम कीमत पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत Quote करता है/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु कीमत कम

करने या कम कीमत Quote करने की तारीख से स्वतः कीमत कम हो जायेगी और दर संविदा तदानुसार संशोधित की जायेगी।

19. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर सविदाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तो पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार बढाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवा उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमतें इस कालावधि के दौरान गिर न गई हो।
20. बोली की विधि मान्यता खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
21. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सोपेगा या भाड़े (Sub-let) पर नही देगा।
22. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जायेगी, वह कार्यादेश जारी होने के 07 दिवस में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उपलब्ध करवायेगा।
23. मूल्यांकन की कसौटीः– तकनीकी बोली में सफल/क्वालिफाईड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईड बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
24. बोलियों का अपवर्जनः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
25. बोली प्रतिभूति राशि आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक के रूप में जमा करायी जावेगी। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी। बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा।

    क. जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता हे या उसमें रूपान्तरण (modification)करता है।

    ख. जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नही करता है।

    ग. जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नही कराता है।

    घ. जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में चतुर्थ श्रेणी कार्मिक उपलब्ध नही कराता है।

    ड. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगानें वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगानें वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

26. <u>करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूतिः–</u>

    अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र/कार्यादेश की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 2.5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर के नाम पर जमा करानी होगी एवं 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत करार पत्र निष्पादन करना होगा।

    ब) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जाएगा।

27. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण <u>(Forfeiture of work performance Security Deposit):-</u> कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा।

    (क) जब संविदा की शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।

    (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई संतोषजनक करने से असफल रहा हों।

(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरंभ करने में असफल रहता हों। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अन्तिम होगा।

28. वित्त (G&T) विभाग का परिपत्र संख्या प.2(1) वित्त/SPFC/2017 दिनांक 30.04.2018 की शर्ते एवं प्रावधान निविदा एवं अनुबंध का भाग है तथा दोनों पक्षों को मान्य होगे।
29. भुगतान :—सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा शर्त सं. 5 एवं 8 के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
30. परिनिर्धारित क्षति (liquidated Damages) :— संवेदक/बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध नही कराने की स्थिति में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमो के अनुसार परिनिर्धारित क्षति के प्रावधान लागू होंगें।
31. निविदा में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए, यदि कोई कटिंग हो, तो लघु हस्ताक्षर होने चाहिए।
32. निविदा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों पर ही दी जानी है, सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
33. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन संस्था का अधिकार सुरक्षित है।
34. बोली के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/सन्देह हो तो कार्यालय समयावधि में संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) से सम्पर्क किया जा सकता है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

राजस्थान सरकार

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कार्य एवं अन्य शर्तें

संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा निम्न कार्यों का सम्पादन किया जायेगा:--

1) कार्मिकों के पास पत्रावलियॉ व डाक लाना व ले जाना।
2) फोटोस्टेट / डिस्पेच इत्यादि का कार्य करवाना।
3) अधिकारियों / कर्मचारियों के बैठने की टेबल कुर्सियों, अन्य फर्नीचर तथा कम्प्यूटर्स इत्यादि उपकरणों को साफ कर उनको साफ सुथरा रखना।
4) अधिकारियों को पानी व चाय इत्यादि सर्व करना।
5) सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार–प्रसार सामग्री / अन्य सामान भण्डार में अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना व ले जाना।
6) अधिकारियों के निर्देशानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / सहायक कर्मचारियों से अपेक्षित अन्य सभी कार्य।

अन्य शर्तें

1) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाओं के लिये किसी प्रकार के अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।
2) भुगतान, मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर संबंधित अधिकारी के द्वारा बिल सत्यापन उपरान्त बोलीदाता के खाते में किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।
3) उक्त कार्य पर बाल श्रमिक नहीं लगाया जा सकेगा। कार्य पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
4) उपलब्ध कराया गया प्रत्येक ठेका कर्मी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय में गरिमा बनाये रखेगा, सद्व्यवहार करेगा एवं धूम्रपान नहीं करेगा।
5) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अवैध गतिविधि / अनैतिक कार्यों में संलिप्त नहीं रहेगा। कार्मिक का चाल–चलन एवं चरित्र अच्छा होना चाहिए। यदि कार्यावधि के दौरान कभी यह पाया जाता है कि कार्मिक दुराचरण का दोषी है तो इसके लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।
6) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा अपेक्षित कार्य नहीं करने पर संवेदक / बोलीदाता द्वारा 3 दिवस में उसके स्थान पर अन्य कर्मी उपलब्ध करवाया जायेगा।
7) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा कार्य स्थल पर धूम्रपान करने / अशिष्ट या दुर्व्यवहार करने / गंदगी फैलाने / नशाखोरी करने पर तत्काल प्रभाव से उसे हटा दिया जावेगा तथा संवेदक / बोलीदाता द्वारा उक्त कार्मिक को इस उपापन संस्था से अनुबंधित अन्य स्थान या अधिकारी के यहां भी नहीं लगाया जायेगा तथा अन्य कार्मिक को उनके स्थान पर लगाने की तत्काल व्यवस्था संवेदक करेगा।
8) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा कार्य छोडने / स्वैच्छिक अनुपस्थित रहने पर संवेदक / बोलीदाता द्वारा उनके स्थान पर अन्य कार्मिक लगाये जाने की तत्काल व्यवस्था करनी होगी।
9) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा कार्य स्थल पर लैंगिक भेदभाव या उत्पीडन करने / अवैध गतिविधि या अनैतिक कार्य में संलिप्तता की शिकायत प्राप्त होने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा उसके विरूद्ध निमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
10) यदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं किया जाता है तो संवेदक को लिखित में सूचना दे कर आवश्यक सुधार हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में वांछित सुधार नहीं कराने पर 15 दिन का नोटिस दे कर संविदा को निरस्त किया जा सकेगा।
11) उपलब्ध करवाये गये कर्मियों में से यदि कोई भी कार्मिक किसी भी कारणवश किसी कार्यदिवस को कार्यालय में उपस्थिति देने में असमर्थ रहे तो संवेदक को उसके बिल में से आनुपातिक राशि काट कर भुगतान किया जावेगा। संवेदक को अनुपस्थित कर्मचारियो के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी यदि संवेदक द्वारा किसी कार्मिक के दो दिवस तक अनुपस्थित रहने पर भी वैकल्पिक व्यवस्था नही की जाती है तो प्रति दिवस हेतु राशि रू. 150 / – की शास्ति आरोपित की जावेगी।

12) संविदा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रत्येक कार्यदिवस में सुबह 9:00 बजे से सांय 6:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना होगा तथा विभाग की आवश्यकता अनुसार उच्च अधिकारियों के आदेश/निर्देश पर अवकाश वाले दिन भी बताये गए समयानुसार उपस्थित होना होगा। अवकाश वाले दिन के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

13) संविदा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का इतना शिक्षित होना आवश्यक है जो विभागीय पत्रों एवं पत्रावलियों को सही सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक के पास पहुँचा सके।

14) समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (इस विभाग व बोलीदाता) द्वारा जयपुर महानगर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

मय मोहर

घोषणा पत्र

बोली/निविदा की समस्त जानकारी /शर्तों का मैंने / हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मै / हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है। मेरे/हमारे द्वारा वास्तव में बोली/निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित कार्मिक उपलब्ध है तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 46 एवं RTPP नियम, 2013 के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से पात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/ हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत किया जा सकेगा तथा बोली/निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :	Signature of bidder
Place :	Name :
	Designation :
	Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Commissioner Transport & Road Safety Department Rajasthan, Jaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary Transport & Road Safety Department Rajasthan, Jaipur

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the RTPP Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement.

(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.

(d) Cancellation of a procurement process.

(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

(i)hear all the parties to appeal present before him: and

(ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No....................of.............

Before the ....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal :...
   ....
   .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer :..
   ....
   ....
   ....
   Place ....
   Date ....

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

I. if these is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

II. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and total shall be corrected; and

III. if these is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

if the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder. whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter or procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार

वित्तीय बोली/प्राईस बिड

निविदा संख्या–02/2023..................................के क्रम में हम/मैसर्स...

.... की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवायें उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय बोली/प्राईस बिड दरे निम्नानुसार प्रस्तुत करते है।

संवेदक का नामः–

संवेदक/बोलीदाता का नाम :– ....

....

क्र.स.	सेवा का नाम	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रति व्यक्ति प्रति माह	EPF दर प्रतिशत (नियोक्ता)	ESI दर प्रतिशत	सेवाप्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रति माह प्रति इकाई रू.)	कुल राशि रू. (4+5+6+7)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अकुशल–7	रू. 6734.00	13.00% (नियोक्ता) रू.875.00	3.25 % (नियोक्ता) रू.219.00		

कुल राशि शब्दों में...

नोटः–

1. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ स. 1 से 6 तक की पूर्ति इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों मे ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है। बोलीदाता द्वारा केवल स्तम्भ सं. 7 व 8 में प्रविष्टि की जानी है।
2. कॉलम सं. 7 में प्रतिशत के स्थान पर राशि रू. में ही अंकित की जावे। उक्त कॉलम में शून्य में अंकित राशि स्वीकार योग्य नही होगी।
3. वस्तु एवं सेवाकर (GST) अलग से देय होगा।
4. दरों में कांट–छांट/ओवर राईटिंग नहीं की जाये। राशि अंको व शब्दों दोनों में अंकित की जाये।
5. कॉलम सं. 4 में अकिंत न्यूनतम मजदूरी की दर, कॉलम सं. 5 में अंकित EPF दर एवं कॉलम सं. 6 में अंकित ESI दर समय–समय पर राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी नवीनतम प्रभावी दरों के अनुरूप देय होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील